

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 81/2026 (GCMS C.N. 2026/104)

आवन्तन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिये बनाम
तहसीलदार करेड़ा जिला
भीलवाड़ा

1. गणी पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी तगडिया
तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय परोकार — प्रार्थी की ओर से




निर्णय

दिनांक 27/04/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रशासन गांवों के सग अभियान 2021 के दौरान आवंटन सलाहकार समिति, तहसील करेड़ा के द्वारा दिनांक 13.11.2021 को ग्राम तगडिया प०ह० मोटा का खेड़ा के खसरा संख्या 389/5 रकबा 1.3658 हैक्टे० में से 0.5059 है० अप्रार्थी को आवंटित हुई। जिसमें ना.स 839/22.01.2023 से राजस्व अभिलेख में किए जाने से अप्रार्थी गैर खातेदार में दर्ज हुआ। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ग्राम तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 239 पर आराजी न. 888/389 रकबा 0.5059 हैक्टे० किस्म बंजड से अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर कब्जा है, भूमि आंशिक काश्त योग्य है लेकिन मौके पर फसल नहीं की जा रही है। वर्णित भूमि का स्थल निरीक्षण पटवारी के द्वारा किया गया मौका स्थिति अनुसार उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी द्वारा आवंटित पूर्ण क्षेत्र को काश्त योग्य नहीं बनाया गया है जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है, मौका पर्चा की प्रति संलग्न है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम के तहत आवंटित भूमि में से 50 प्रतिशत भू-भाग आवंटन के प्रथम वर्ष में तथा शेष भाग द्वितीय वर्ष में कृषि योग्य बनाया जाकर काश्त किया जाना अनिवार्य है, जबकि अप्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक से अब तक उक्त आवंटित भूमि को आवंटन प्रयोजन अनुसार काबिल नहीं बनाया गया है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। आनलाईन खसरा गिरदावरी अनुसार सम्पूर्ण आराजी भूमि पर फसल काश्त अंकन बताया गया जबकि मौके पर भूमि फसल काश्त किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। वर्णित अप्रार्थी को किए गए आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड कराया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद तामील अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।



27.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विभागीय पेट्रोकार द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यों हेतु उपयोग में नहीं ली गई थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव-

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम तगडिया प०ह० मोटा का खेड़ा आराजी न. 888/389 रकबा 0.5059 हैक्टे० किस्म बंजड के आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार करेड़ा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ.न की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार करेड़ा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

